संख्या-20/2022/2066574/12-5002(099)/5/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 26 मार्च, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83, लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0101-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.60/रा.40-के.$रा0) योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध प्राविधान के सापेक्ष हो रही बचत से धन अन्तरण हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/पी0के0वी0वाई0/352/2021-22, दिनांक 11-03-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83, लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0101-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.60/रा.40-के.$रा0) योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष हो रही बचत से रू.120.764 लाख (रूपया एक करोड़ बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनओं का संगत राज्यांश, 8906-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना में रू.120.764 लाख (रूपया एक करोड़ बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) का संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आप द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित अवमुक्त केन्द्रांश राज्य के समेकित निधि में जमा है।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

8- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

9- स्वीकृत धनराशि का अपने स्तर से कोषागार से एकमुश्त आहरण कर एस0एन0ए0 के खाते के माध्यम से धनराशि का अन्तरण जनपद स्तर पर इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी को किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आर.ई. संख्या-558 , दिनाँक 22-03-2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(रूल्स रैगुलेशन का शासन-1[a] देखें)
(प्रेषक द्वारा की जाने वाली पूर्व पीछे की अनुपूर्ति की गयी-गयि देख लिया जाये)

अनुदान सं0-03 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रपत्र सैक्शन-4

धनराशि रुपये में

सेक्शनहैड (15 डिजिट कोड में)	निम्नलिखित निधियों में उपलब्ध संकलन		संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा पत्र जारीकी	
	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन प्रस्तुत देने के दिनांक पर उपलब्ध व्यय		वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात होने अनुदान/विनियोग (3-4)
1	2	3	4	5	6
2402-मृदा एवं जल संरक्षण -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-010:- पेराग्रस मिशन फार क्लाईमेट्स रेजीलिएन्स प्रोजेक्ट					
2402 789 01 0101					
04-राज्य अंश	0.400	0.203	0.203	0.203	0.197
08-कार्यालय व्यय	0.400	0.400	0.400	0.400	0.00
11-सेवक सम्पदा	0.400	0.400	0.400	0.400	0.00
15-गाड़ी अनुरक्षण	0.400	0.400	0.400	0.400	0.00
27-मजिनरी	139.200	77.445	77.445	77.445	61.755
42-अन्य व्यय	58.684	32.167	32.167	32.167	26.517
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	12.320	9.749	9.749	9.749	2.571
45-कम्प्यूटर क्रय	0.200	0	0	0.00	0.200
50-आटर्मनीसि स्थापने हेतु भुगतान	0.400	0	0	0.00	0.400
कुल व्यय	212.404	120.764	120.764	120.764	91.640

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकलन			वित्त विभाग द्वारा पत्र जारीकी		
सेक्शनहैड (15 डिजिट कोड में)					
7	8	9	10	11	12
2402-मृदा एवं जल संरक्षण -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-02-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संघटक राज्यांश-0002- पेराग्रस मिशन फार क्लाईमेट्स रेजीलिएन्स के अन्तर्गत सम्पन्नकृषि कृषि विकास योजना	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संकलन हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
2402 789 01 0002					
04-राज्य अंश	0	0.203	0.203	0.203	0.203
08-कार्यालय व्यय	0	0.400	0.400	0.400	0.400
11-सेवक सम्पदा	0	0.400	0.400	0.400	0.400
15-गाड़ी अनुरक्षण	0	0.400	0.400	0.400	0.400
27-मजिनरी	0	77.445	77.445	77.445	77.445
42-अन्य व्यय	0	32.167	32.167	32.167	32.167
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	9.749	9.749	9.749	9.749
45-कम्प्यूटर क्रय	0	0	0	0.00	0.00
50-आटर्मनीसि स्थापने हेतु भुगतान	0	0	0	0.00	0.00
कुल योग-	0	120.764	120.764	120.764	120.764

1. स्तम्भ-9 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो रही है-

3- केन्द्र पुरोनिमनित योजना में चालू वित्तवर्ष के दिसंबर के बाद से योजना का संचालन पेराग्रस्थापनाका से किये जाने के कारणवश अनुमोदित सेक्शनहैड में राजांश का प्रावधान करते जाने के समय नहीं है।

2. स्तम्भ-6 में अंकित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-5 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

3- चालू वित्तवर्ष में शासनादेश के बाद से संकलन का संचालन हेतु भुगतान पेराग्रस्थापनाका से किये जाने के कारणवश अनुमोदित सेक्शनहैड में केन्द्रांश के सापेक्ष पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करते जाने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश वित्त विनियम के प्रस्तर-151 व 161 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है।

सं0 : वाकी/ 550 दिनांक- 22-03-2022

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रशासकीय विभाग

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव
वित्त अनुभाग

(सूरज चन्द्रादेव)
अनु सचिव
वित्त अनुभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:_____/12-5002(099)/5/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रथम महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सागरस्त कोषागिकारी/वरिष्ठ कोषागिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0ओ0 वित्त पत्रियों हेतु)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।